

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

पत्रांक: 1889/वा.सं.सी-0966/एस-11/2023 (अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य को ध्वस्तीकरण करने हेतु आदेश)

दिनांक:

19/12/23

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

महोदय,

विपक्षी श्री महमूद खान, गुसी गली, नियर शिव मंदिर, तेलपुर, मेहुवाला देहरादून के द्वारा स्थल पर लगभग 04-05 बीघा के क्षेत्रफल में अवैध प्लॉटिंग हेतु सडक डिमार्केशन का कार्य किये जाने के कारण उपरोक्त वाद योजित किया गया है। जिसे प्राधिकरण द्वारा उक्त अवैध निर्माण को दिनांक 26-12-2023 को ध्वस्त किया जाना है।

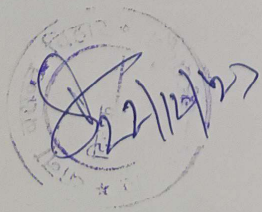
अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को ध्वस्तीकरण कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

संयुक्त सचिव,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

- प्रतिलिपि:—1. जिलाधिकारी महोदय, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि नियत तिथि को उक्त कार्य को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की कृपा करें।
2. पुलिस अधीक्षक, नगर देहरादून को इस आशय से कि नियत तिथि को सील/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु एक क्षेत्राधिकारी नियुक्त करते हुये पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. संबंधित थानाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. समस्त सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं/अवर अभियन्ता (इलैक्ट्रीकल्स)/समस्त प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अवैध निर्माण को सील/ध्वस्तीकरण करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
5. नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि को दो वाहन, डोजर एवं ध्वस्तीकरण से संबंधित समस्त सामग्री संबंधित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. विपक्षी श्री महमूद खान, गुसी गली, नियर शिव मंदिर, तेलपुर, मेहुवाला देहरादून, को इस आशय से प्रेषित कि चालानशुदा निर्माण को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 26.12.2023 को ध्वस्त किया जाना है। शेष नियम व शर्तें पूर्व प्रेषित पत्रांक 7138 दिनांक 05.12.2023 के अनुसार मान्य होंगे।



संयुक्त सचिव,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

18/12/23